

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 06 मेरठ  
पीठासीन अधिकारी- श्री विनोद शर्मा (उ० प्र० न्यायिक सेवा)  
जमानत प्रार्थना संख्या - 1641/2022  
सी.एन.आर. संख्या- यू.पी.एम.ई.0408-3634-2022  
दिलनवाज आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

दिनांक: 01.08.2022

आज यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। अभियुक्त दिलनवाज द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा करने की याचना किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए यह कथन किये गये हैं कि अभियुक्त निर्दोष है, रंजिशन फर्जी फंसाया गया है। अभियुक्त का अपराध से कोई वास्ता नहीं है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त जमानत देने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर व अजमानती प्रकृति का है। अभियुक्त न्यायालय हिरासत में जेल में निरुद्ध है। अभियुक्त को जमानत पर यदि किया जायेगा तो वह साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा तथा साक्षियों को धमकायेगा। अभियुक्त के जमानत आवेदन को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मुकदमा अपराध संख्या 88/2022 धारा 379,411 भा.दं.सं. थाना लालकुर्ती जिला मेरठ के अपराध में प्रार्थी दिलनवाज अभियुक्त हैं तथा वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में निरुद्ध है। अभियुक्त पर सह-अभियुक्त के साथ मिलकर ई-रिक्शा चुराने तथा उसके कब्जे से बरामद होने का अभियोग लगाया गया है। मामले की विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त पर आरोप अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रस्तुत मामले में गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना इस न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित एवं तर्क संगत नहीं है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

#### आदेश

अभियुक्त दिलनवाज का मुकदमा अपराध संख्या 88/2022 धारा 379,411 भा.दं.सं. थाना लालकुर्ती जिला मेरठ के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(विनोद शर्मा)  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 06 मेरठ।  
(जे.ओ.कोड यू.पी. 2056)